निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी – कैलाश चन्द गुर्जर (आर0ए0एस0)

प्रकरण सं. –63/2021

अनवान

प्रकाशचन्द्र पिता गिरधारी लाल जाति महाजन आयु बालिग निवासी सिंगोली तहसील सिंगोली जिला निमच (म0प्र0) हाल निवासी बोरदा प0ह0 गोपालपुरा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़ राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार रावतभाटा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

अधिवक्ताः– श्री भूपेन्द्र पुरोहित

निर्णय दिनांक – 23.06.2022

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी की कृषि आराजीयात ग्राम बोरदा पटवार हल्का गोपालपुरा में खाता संख्या 40 आराजी संख्या 193, 194 कुल किता 02 कुल रकबा 2.16 है0 भूमि स्थित है, जो मुझ प्रार्थी के के नाम खाते दर्ज रिकार्ड चली आ रही है, जिस पर प्रार्थी काबिज है और काश्त कर रहें है। उक्त कृषि आराजी संख्या 193, 194 रकबा 2.16 है0 कृर्षि भूमि पर कदीमी समय से आने जाने के लिए एक आम रास्ता बिलानाम सरकार जमीन जिसकी खसरा संख्या 203/410 जो नजरी नक्शें में ए से बी दर्शित किया हुआ है, उससे आ रहा हुं। उक्त आराजी पर आने जाने के लिए प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता नहीं है, इसलिए प्रार्थी उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम कराने हेतु यह प्रार्थनापत्र न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी की उक्त कृर्षि आराजीयात संख्या 193 व 194 पर आने जाने के लिए बने उक्त आम रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम नहीं है। इसलिए आराजी संख्या 203/410 से प्रार्थी रास्ता कायम कराना चाहता है, इसलिए मुझ प्रार्थी के कृषि आराजीयात पर आने जाने के लिए आराजी संख्या 203/410 में रास्ता कायम किया जावे तथा नक्शें में भी तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाए इस के लिए प्रार्थी नियमानुसार शुल्क जमा कराने के लिए तैयार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया, अप्रार्थी तहसीलदार रावतभाटा ने प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम बोरदा प0ह0 गोपालपुरा की आराजी संख्या 193, 194 कुल किता 02 रकबा 2.16 है0 भूमि प्रकाश चन्द्र पिता गिरधारी लाल जाति महाजन निवासी सिंगोली (म0प्र0) के नाम दर्ज रिकार्ड है, उक्त आराजी भूमि तक पहुंचने के लिए रास्ता राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नहीं है, प्रार्थी को उक्त आराजी भूमि तक पहुचने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। वादी द्वारा उक्त आराजी भूमि तक पहुचने के लिए आराजी संख्या 203/410 रकबा 0.87है0 भूमि की पश्चिमी मेड के सहारे–सहारे रास्ता

चाहा गया है जो की किस्म चाही–4 बिलानाम राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है, उक्त रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि की लम्बाई व चौडाई 72X4.166 मीटर 300 वर्गमीटर (0.03 है0) भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि की डीएल सी रेट के हिसाब से प्रार्थी को पैसे जमा कराने होंगे जिसकी डी एल सी दर 254300 X0.03=7629 रू जमा कराने होंगे।

हमने उभय पक्ष को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि उनकी आराजीयात में आने जाने का कोई रास्ता नहीं होने से उसे कृषि कार्य हेतु आने जाने में असुविधा होती है तथा आराजी संख्या 203/410 बिलानाम सरकार भूमि में से नियमानुसार रास्ता चाहता है। इसके लिए वह नियमानुसार राशि विपक्षी खातेदार को देने को तैयार है। तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की कृर्षि आराजीयात पर पहुचंने के लिए आराजी संख्या 203/410 रकबा 0.87है0 भूमि की पश्चिमी मेड के सहारे–सहारे रास्ता चाहा गया है जो की किस्म चाही–4 बिलानाम राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है, उक्त रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि की लम्बाई व चौडाई 72X4.166 मीटर 300 वर्गमीटर (0.03 है0) भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि की डीएल सी रेट के हिसाब से प्रार्थी को पैसे जमा कराने होंगे जिसकी डी एल सी दर 254300 X0.03=7629 रू जमा कराने होंगे। हमने अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी। प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । प्रार्थी के पास उसके खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई मार्ग/विकल्प नहीं होने से उसके द्वारा सुखाधिकार के तहत भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। जिससे उक्त तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत ग्राम बोरदा पटवार हल्का गोपालपुरा की आराजी संख्या 193, 194 में आने जाने हेतु आराजी संख्या 203/410 रकबा 0.87है0 बिलानाम सरकार मे से 300 वर्गमीटर भूमि रास्ता हेतु दिलाये जाने का स्वीकार किया जाकर रकबा 300 वर्गमीटर भूमि़ डीएलसी रेट अनुसार डीएलसी दर 254300/रू. अनुसार कीमत 7629 रू की दुगुनी दर से राशि 15258/रू. (अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार दौ सौ अठावन रू. मात्र) कीमतन का भुगतान बिलानाम सरकार होने से तहसीलदार रावतभाटा को किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतू सार्वजनिक रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम किया जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का भुगतान विपक्षी पेरोकार सरकार को किये जाने बाबत उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत किये जाने हेतू प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर उक्त आदेशानुसार भुगतान हेतू संबंधित तहसीलदार को ड्राफ्ट भिजवाया जावे तथा राजस्व अभिलेख में अमल हेतू तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे की छायाप्रति, निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भेजी जावे।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड़ अधिकारी रावतभाटा